कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, अनुभाग हरसूद जिला खण्डवा, (म0प्र0)

क्रमांक / 102 / 2017 / भू–अर्जन / 38 हरसूद, दिनांक 8 /01/2019

प्रति,

नियंत्रक,
केन्द्रीय मुद्रणालय
म.प्र. भोपाल

विषय :– भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन विषयक ।

––00––

राजस्व प्रकरण क्रमांक 02 / अ.82 / 2017–18 में ग्राम रोशनी तहसील खालवा, जिला खण्डवा की निजी भूमि क्षेत्रफल 3.57 हेक्टर के भू–अर्जन हेतु, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक–30, सन् 2013) की धारा–धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना की दो प्रतियां संलग्न प्रेषित है।

अतः कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :– 02 प्रतियां।

अनुविभागीय अधिकारी
(जगदीश मेहरा)
तहसील– हरसूद
जिला–खण्डवा
अनु–विभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी,
हरसूद जिला खण्डवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक / 102 / भू–अर्जन / 39 हरसूद, दिनांक 8 /1/2019

प्रतिलिपि :–

1– संचालक, जन संपर्क संचनालय म0प्र0 की ओर अधिसूचना की चार प्रतियॉ संलग्न कर इस क्षेत्र में पढे जाने वाले दो बहु प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित । दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन उपरांत समाचार पत्रों की दो प्रतियॉ इस कार्यालय एवं कार्यालय कलेक्टर खंडवा को प्रेषित करने का कष्ट करें।

2– कलेक्टर महोदय, (भू–अर्जन शाखा) जिला खण्डवा की ओर अधिसूचना की प्रति सहित सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर संलग्न अधिसूचना को समुचित सरकार की वेबसाईड पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित ।

4– तहसीलदार, खालवा की ओर 06 प्रतियॉ संलग्न कर एक प्रति स्वयं के कार्यालय के सूचना पटल, उक्त अधिसूचना का प्रकाशन उपखंड कार्यालय / तहसील / जनपद पंचायत कार्यालय, संबंधित ग्राम एवं ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया जाकर तामिली इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रेषित ।

5– कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

6– जिला नाजिर कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर जिला कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील– हरसूद
जिला–खण्डवा
अनु–विभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी,
हरसूद जिला खण्डवा (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर जिला खण्डवा (म0प्र0)

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती क्रमांक /102/एल.ए./2017

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक–2/अ–82/2017–18 दिनांक 07/01/2019

// अधिसूचना //

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा द्वारा आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु ग्राम रोशनी प.ह.नं. 62 तहसील खालवा की निजी कृषि भूमि कुल क्षेत्रफल 3.57 हेक्टेयर भूमि का अनिवार्य भू–अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन से छूट प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से सम्बन्धित होने के कारण म.प्र.शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–16–15(1)/2014–सात–2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मै विशेष गढ़पाले कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र.शासन विधि एवं विधियी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्ययदेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा–4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ।

// अनुसूची //

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हेक्टेयर में	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	खालवा	62	रोशनी	3.57	आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु

नोट :–1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।
2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी, हरसूद तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विशेष गढ़पाले)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला खण्डवा

Adhisuchana (Dhara 4) Aulliya / Divya / doc.